R 81-I/08

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० आज दि० 29/1/08 को प्रस्तुत
29-1-08 अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

COURT FEE TWO RUPEES CANCELLED

Pradeep Shrivastava Adv. 29/1/08

अयोध्या प्रसाद तनय श्री रामसनेही पटेल, उम्र 40 वर्ष, पेशा- खेती, निवासी ग्राम चिरांव, तह0 कोरांव, जिला इलाहाबाद (उ0प्र0)
हाल नि. पथरहिया तह. त्योंथर जि. रीवा
——— आवेदक

बनाम

1. सुखमंती पत्नी रामखेलावन, उम्र 72 वर्ष,
2. तुलसीराम तनय रामखेलावन, उम्र 45 वर्ष,
3. सालिक राम तनय रामखेलावन, उम्र 35 वर्ष,

सभी का पेशा- खेती, निवासी ग्राम पथरहिया, तह0 त्योंथर, जिला-रीवा (म0प्र0)
——— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा म0प्र0, बाबत् प्र0क्र0 4/पुनर्विलोकन/07-08
आदेश दिनांक 26.12.07

मुताबिक धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :---

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 03.11.07 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर स्वीकार कर उसके पक्ष में वादग्रस्त भूमियों के नामान्तरण का आदेश दिया था जिसकी इस्तलायाबी भी गस्ती खसरों में हो चुकी है, किन्तु अना0गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपील प्र0क्र0 54/अपील/07-08, आदेश दिनांक 03.11.07 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार पर अपने आदेश दिनांक 03.11.07 को पुनर्विलोकन आवेदन पत्र

..क्रमशः..

GWL

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 81 /I/ 2008

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 4/07–08 पुर्न0 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–12–07 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है अपर आयुक्त व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 26–12–07 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या अपर आयुक्त व्दारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में व्यवस्था दी गई कि यदि न्यायालय को समाधान हो कि सुविधा–सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति आवेदनकर्ता के पक्ष में प्रतीत होती है, तब न्यायालय स्वविवेक से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दे सकेगा। 4/ उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 26–12–07 व्दारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। फलतः निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। सदस्य	